

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)

समक्ष-आनन्द प्रिय राहुल

सत्र प्रकरण क्रमांक 134 / 2013

संस्थित दिनांक 24.09.2013

म.प्र. राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चन्देरी,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियोगी ।**

बनाम्

1. धरमलाल पुत्र हरीराम, जाति कोली, आयु 25 साल, जाति लोधी, निवासी- ग्राम नावनी, थाना चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
2. हरीराम पुत्र गोरेलाल, आयु 55 साल, निवासी- ग्राम नावनी, थाना चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
3. आनंदी पुत्र हरीराम लोधी, आयु 22 साल, निवासी- ग्राम नावनी, थाना चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियुक्तगण ।**

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 304 / 2014 में पारित उपार्षण आदेश दिनांक 10.09.2013 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण ।

अभियोजन की ओर से :- श्री एम.एस.राजपूत, अतिरिक्त लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण की ओर से :- श्री गौरव जैन, अधिवक्ता ।

::आदेश ::

(अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(आज दिनांक 31.08.2016 को पारित किया गया ।)

1. पुलिस थाना चंदेरी से पन्द्रह किलोमीटर दक्षिण दिशा में ग्राम नावनी में फरियादी के मकान के पास सबेरे करीब 6 बजे दिनांक 25.06.2013 को जब फरियादी अपने मकान के पास से सार्वजनिक स्थान पर से जा रहा था तब तुमने उसे मां बहिन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और धारदार अस्त्र से मारपीट कर उसके बायें पैर में स्वेच्छया घोर उपहति कारित की । धारा 294, 326 / 34,

506बी के तहत अपराध किए जाने का आरोप है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि, प्रकरण में आरोपीगण को राजीनामा के आलोक में भा.द.वि. की धारा 294, 506बी के आरोप से दोष मुक्त किया जा चुका है तथा धारा 326/34 भा.द.वि. के आरोप का निराकरण किया जा रहा है।

3. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 25.6.13 को सुबह 6 बजे फरियादी श्रीपद बैलों को पास के नाले में पानी पिलाने ले जा रहा था, उसके घर के सामने हरिराम, धरमसिंह, आनंदी तीनों मिले। आनंदी ने रास्ते में रखा पत्थर हटाया उसने कहा कि यह पत्थर मुझे और मेरे बैलों में लग जाता, वह बोले मुझे क्या मतलब, वह तो रास्ते पत्थर हटा रहे हैं। तीनों ने उसे बुरी बुरी गालियां दी, गाली देने मना किया तो, धरमलाल ने कुल्हाड़ी मारी, जो उसे डेढ़ पैर के टकने के पास लगी, खून निकल आया। हरिराम ने लाठी मारी, जो उसके डेढ़ हाथ के डढ़ा में चोट लगकर खून निकल आया, एक ओर लाठी मारी जो उसके डेढ़ हाथ में मूंदी चोट आयी। आनंदी ने हाथ में पत्थर पकड़कर मारा उसके डेरे पर वाली पिंडली में लगा मूंदी चोट आयी, जिसकी उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी- 1 पुलिस थाना चंदेरी में की, जिस पर से अपराध क्रमांक 226/13 धारा 323/34, 294, 506/34, 341 भा.द.वि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

4. विवेचना ने विवेचना उपरांत उक्त धाराओं में अपराध कारित किया जाना पाया और अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी श्री के.एन. अहिरवार के न्यायालय में दिनांक 17.7.2013 को पेश किया गया व कमिटल आदेश दिनांक 10.9.2013 को प्रकरण कमिट किया गया व माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 24.9.2013 को इस न्यायालय में अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. रखे गये आरोपों को सभी आरोपीगण ने तत्समय अस्वीकार किया था व विचारण चाहा गया।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:

- (1) क्या दिनांक 25.6.2013 को सुबह 6 बजे के करीब ग्राम नावनी में आनंद ने सह अभियुक्त धरमलाल, हरिराम के साथ सामान्य आशय को अग्रसर करने में फरियादी श्रीपत लोधी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया बाये पैर के टकने में चोट

कारित कर फिबुला हडडी का अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की?

निष्कर्ष के आधार

7. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में निवेदन किया कि, आरोपीगण द्वारा धारदार अस्त्र से फरियादी श्रीपद को चोट कारित कर कोई घोर उपहति कारित नहीं की गई थी। फरियादी स्वयं पत्थरों पर गिर गया था जिससे उसके बायें पैर के टकने में चोट आयी थी और उसकी हडडी टूट गई थी। इस बाबत उसने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है। राजीनामा के प्रकाश में अभियोजन साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोष मुक्त किया जावे।
8. अभियोजन की ओर से ए.जी.पी. श्री राजपूत ने निवेदन किया कि राजीनामा के आलोक में अभिलेख पर आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में अभियुक्तगण को दंडित किया जावे।
9. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए.जी.पी. के तर्क श्रवण के पश्चात अभिलेख पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रकरण का आहत व फरियादी श्रीपद (अ.सा.1) ने अपने अभिकथन में बताया है कि घटना चार पहले की सबेरे 6 बजे की है। वह अपने बैल लेकर मकान से कुवें पर जा रहा था। अभियुक्तगण से उसका रास्ते में गाली-गलौच हुआ था, झूमा झटकी हो गई थी जिससे वह गिर गया था, जिससे उसे पत्थर से बायें पैर में चोट लग गई थी। उसका भाई तुलसीराम उसे रिपोर्ट व इलाज कराने लाया था। प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. इस साक्षी ने अपने मुख्य में जो अभिकथन दिया है कि वह जमीन पर गिर गया था जिससे उसे पत्थर से बायें पैर में चोट लग गई थी जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में वर्णित तथ्य की पुष्टि इस साक्षी के अभिकथन से नहीं हुई है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। कूट परीक्षण में भी इस साक्षी ने अपने अभिकथन में उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी का अभिकथन नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं होती है।

11. अतः द.प्र.सं. की धारा 232 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरोपीगण को भा.दं.वि. की धारा 326/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

प्रतिलिपि :— जिला दंडाधिकारी, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

//5//

सत्र प्रकरण क्रमांक 134/2013

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.